

**भारतीय
सर्विस प्रविधिक शिक्षा परिषद
इसरा (एन.ए.ए.ए.)**

संख्या - प्राविष/परिषद्/सम्बद्धता/2022/1917

संलग्नक: दिनांक: 20/06/2022

भारतीय सेवा

भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-कार्गिली कालोनिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न भारतीय एक-बी.टी. शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, इसरा (एन.ए.ए.ए.) से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 20/06/2022 को परिषद भारतीय से सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंटी पर विचार करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विपरीत निर्णय के अनुसार नए संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद: इसरा (एन.ए.ए.ए.) द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रदान हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम: 3394-KANPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एन-आई-टी/एन/एन/एन/एन/एन/एन द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	0	0

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन-आई-टी/एन/एन/एन/एन/एन/एन द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवम् 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, संशोधित विनियमवली-2019 तथा संस्था-पालन पर विहित निकायवली का अनुपालन करेगी एवं सूचक निर्देशिका समिति द्वारा निर्धारित सूचक कीमत एवं प्रति-एन/एन/एन/एन/एन/एन/एन हेतु एन/ए 30100.00/-, जिनकी, 01 प्रतिशत भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद हेतु एन/ए 45000.00/-, प्रतिशत एवं एक लाख (1) प्रतिशत पाठ्यक्रमों की भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद के अधिकृत विभागों से सूचक कीमत एवं प्रवेश प्रक्रिया से प्राप्त किया जाएगा। उत्तरेक के अधिकृत विभागों से सूचक कीमत में समझौता पर सफल प्राप्त किया किये जाने वाले।

संस्थानों को धार्य होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्दिष्ट शर्तों द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु संस्था का पुनर्निर्माण किया जाना है, तो नीचे की शर्तों का पालन होना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को सहाय-सहाय या निजी गठन/अवकाश के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता युक्त कार्य करना होगा।
- ✓ संस्थाएं उस प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधिविषय-विशेष/विषय-संयोजित/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राधिकृत शिक्षा बोर्डों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्यक्ष प्राधिकृत शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष द्वारा बनने वाले निजी, विविध, अदालत एवं निजी का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का पंजीयन/संयोजित/विशेष/विषय-संयोजित में अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उपाध्यक्ष/सहाय के द्वारा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए बाध्य नहीं होगा। प्राधिकृत शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राधिकृत शिक्षा विभाग एवं प्राधिकृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तो इस कदम के संबंध में स. गणराज्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अदालत निर्दिष्ट किया जाता है जो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को बनाने होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्यक्ष गठन/अवकाश द्वारा प्रवेश एवं प्रवेश हेतु आयोजित कार्यवाही प्राप्त होने के पूर्व पंजीयन/संयोजित/विशेष/विषय-संयोजित में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही उपरान्त करना होगा अतः संस्थाएं प्रवेश को (कार्यवाही के अन्तर्गत है प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत प्रवेश) अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकती।
- ✓ उपाध्यक्ष/सहाय द्वारा प्रवेश हेतु सहाय-सहाय या निजी गठन/अवकाश विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संपत्ति सुझाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि, भूमि, बांध, सहाय-सहाय, उपकरण, धन किया जाने वाला युक्त, आवासीय युक्त अदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विवरण/प्राधिकृत हेतु उपयुक्त कारवाही उपलब्ध करने के साथ प्रेषित होने के संबंध में सहाय आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्येक कार्यवाही पर्यवेक्षण को पालने वाले हेतु निर्दिष्ट शर्तों के साथ उपलब्ध कराने एवं अतिरिक्त, भूमि, धन, पर्यवेक्षण, उपकरण आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को सुझाएं बनानी होगी कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपाध्यक्ष संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अतिरिक्त शर्तों निर्दिष्ट के दौरान यदि संस्था में भूमि, धन, पर्यवेक्षण, उपकरण एवं अन्य सहाय-सहाय पंजीयन/संयोजित/विशेष/विषय-संयोजित/परिषद के अनुरोधों का उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त बन दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता बर्तों का अनुपालन न करने वाले अवकाश छात्रों का उपलक्षण किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन/कार्य कार्यवाही की जाएगी।


(राजेश कुमार खान)


सचिव

फ़ोन- प्राधिकृत/परिषद संख्या/2022/7919-8488

दिनांक, 30/08/2023

पता-
प्राधिकृत/निदेश KANPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY




(राजेश कुमार खान)

काशीनगर,

राष्ट्रिय, प्रतिष्ठित विश्व प्रौद्योगिकी,

उत्तर प्रदेश (इएच.ए.टी.)

संख्या- प्रतिष्ठानप्रौद्योगिकी/उत्तरप्रदेश/2021/2637

दिनांक: 09/08/2021

काशीनगर, उत्तर प्रदेश,

प्रतिष्ठान काशीनगर, उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठान प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से नए डिप्लोमा प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण करेगा। नए डिप्लोमा प्रोग्रामों के अंग्रेजी नाम 2021-22 ई. के लिए निर्धारित काशीनगर, उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठान प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से निर्धारित प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण करेगा। नए डिप्लोमा प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से 2021-22 ई. के लिए निर्धारित प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण करेगा।

प्रतिष्ठान प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से नए डिप्लोमा प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण करेगा। नए डिप्लोमा प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से 2021-22 ई. के लिए निर्धारित प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण करेगा।

पता: 225 KANPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, A-1 UPSIDC, INDUSTRIAL AREA, ROOMA, KANPUR-208001 (OLD NAME- KANPUR INSTITUTEN OF TECHNICAL EDUCATION, A-1 UPSIDC, INDUSTRIAL AREA, ROOMA, KANPUR- 208001)

क्रम संख्या	प्रोग्राम का नाम	प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश द्वारा 2021-22 ई. के लिए अनुसूचित प्रवेश अंकों	प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश द्वारा 2021-22 ई. के लिए अनुसूचित प्रवेश अंकों
1	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60



- ✓ नए डिप्लोमा प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से 2021-22 ई. के लिए निर्धारित प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण करेगा।
- ✓ प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठान प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से 1952 ई. के लिए निर्धारित प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से 2021-22 ई. के लिए निर्धारित प्रोग्रामों के अंग्रेजी नामों का निर्धारण करेगा।

संकेत:-

उपरोक्त संकेतों के माध्यम से उपरोक्त नहीं कहा जाय है जो संस्था की संरचना को दर्शाता है।

- ✓ संरचना को अनुसंधान व शिक्षण के अलावा अन्य कार्य के लिए भी विभाजित किया जा सकता है।

(सुनील कुमार शर्मा)

प्रति

संकेत:- संकेतों के माध्यम से उपरोक्त नहीं कहा जाय है जो संस्था की संरचना को दर्शाता है।

दिनांक: 09/08/2021

संकेत:-

उपरोक्त संकेतों के माध्यम से उपरोक्त नहीं कहा जाय है जो संस्था की संरचना को दर्शाता है।

(सुनील कुमार शर्मा)

प्रति



